

असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'

29/5/18

~~असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'~~

12/4/18

~~असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'~~


~~असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'~~

12/3/18

असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'

26/2/18

असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'



असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'   
 'असम' 'असम' 'असम'

25/1/18

असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'

24/1/18

असम गैर 'संज्ञान' 'अपेक्षा'   
 'असम' 'असम' 'असम'

फर्द अहकाम

जागदीश बनाम रतनलाल

प्रकरण सं० ०६...../2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

रतनलाल  
 जागदीश  
 रामजी लाल  
 रतनलाल  
 रामजी लाल काका  
 व  
 रतनलाल काका  
 निःअगवान

रतनलाल, रामजीलाल, केलाश अगवान व अन्य उपस्थित पक्षकारों की खुशवाई लोक अदालत की भावना से की गई अभय पक्षों को शपथि निपेदा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की संपत्ति में किसी भी प्रकार की दखलबाजी न करें। एवं जब तक नकशा पुरस्त नहीं होता है तब तक निर्माण कार्य न करें। पत्राली संशाल शुगर लेकर नम्बर से कर हो। बाय प्रति कारील इच्छा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 जमशानगर

